

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

धारा 67 : निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

- (1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—
- (क) किसी कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गए माल के स्टॉक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या
- (ख) माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे माल को रख रहा है जो कर के संदाय से बच गए हैं या उसने अपने लेखाओं या माल को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

वहां वह लिखित में केन्द्रीय कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या माल के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी कारबार के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

- (2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी किसी माल या किसी दस्तावेज या बहियों या चीजों को जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह केन्द्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे माल, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसे माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल को नहीं हटाएगा, उसे स्वयं से अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनका व्यौहार नहीं करेगा :

परन्तु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं।

- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें, जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को, किन्हीं परिसरों के द्वारों को सील करने की या उन्हें तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रॉनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

के कोई माल, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रॉनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच प्रदान करने से इंकार किया जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी।

- (5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, उद्धरण लेने का हकदार होगा, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- (6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर, यथास्थिति, बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसी मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए या लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।
- (7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है वहां माल को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :
परन्तु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।
- (8) सरकार, किन्हीं मालों के नश्वर होने या परिसंकटमय प्रकृति का होने, समय के साथ माल के मूल्य में अवक्षयण, माल के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा माल या मालों के ऐसे वर्ग को घोषित कर सकेगी, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा।
- (9) जहां किन्हीं मालों का, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वहां वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।
- (10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि *उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया हो।
- (11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।
- (12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का क्रय, ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए करवा

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का क्रमांक 46) की धारा 185 की उपधारा (5) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए माल के वापस करने पर ऐसा कराधेय व्यक्ति या कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति माल के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का, पूर्व में जारी किए गए कर बीजक या पूर्ति बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

उपयुक्त नियम: नियम 139, 140, 141

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी आईएनएस-01, जीएसटी आईएनएस-02, जीएसटी आईएनएस-03, जीएसटी आईएनएस-04, जीएसटी आईएनएस-05